अपील सूचना अधिकार संख्या 31/2020 (RCMS 2020/00046) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 72 वर्ष निवसी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पोस्टल ऑर्डर नं. 46एफ/988735) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर

26.02.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और लिखित बहस पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने कथन किया कि उसने दिनांक 30.12.2019 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के समक्ष समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तेरह बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो उनके उनके द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित की जाकर, प्रार्थी को हर्जाना दिलवाया जावे और निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की हैं

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.12.2019 से निम्न सूचना चाही थी :

1. प्रार्थी के पत्रांक दिनांक 19.12.2019 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व आर आरआर नंबर की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. पत्र प्राप्ति से लेकर दिनांक 30.12.19 तक पत्र पर जो–जो कार्यवाही की गयी उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. प्रार्थी के उपरोक्त पत्रांक पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
4. पत्र में अंकित तथ्यों के संबध में धारा 89 पंजीयन अधिनियम 1908 का धारा में की गयी कार्यवाही की सूचना।
5. जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर की जांच

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

रिपोर्ट क्रमांक 703 दिनांक 17.06.2019 पर की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।

6. श्री महेन्द्र छाबड़ा स्टाम्प वेण्डर प्रकरण में दोषी पाये जाने पर भी उनके विरूद्ध कार्यवाही करने में लगने वाली समय की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
7. लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थी के उक्त पत्रांक का जवाब दिये जाने में लगने वाले समय की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
8. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 19.03.2019 की पालना में एफआईआर दर्ज करवाने में लगने वाले विलंब की सूचना व विलम्ब के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
9. प्रार्थी के पत्रांक पर कार्यवाही जिस स्तर पर कियाशील है उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
10. राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक 6871–72 दिनांक 23.08.18 पर की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।
11. कार्यवाही उक्त पत्र पर न किये जाने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।
12. राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक 4584–84 दिनंक 27.11.2019 जिला कलक्टर कार्यालय में पहुचंने की तारीख व आरआर नंबर की सूचना व प्रमाणित प्रति।
13. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 05 दिनांक 10.02.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

क्र.सं.	प्रश्न	उतर
1	. प्रार्थी के पत्रांक दिनांक 19.12.2019 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व आर आरआर नंबर की सूचना व प्रमाणित प्रति।	प्रार्थी का पत्रांक दिनांक 19.12.19 इस कार्यालय में दिनांक 19.12.2019 को प्राप्त हुआ।
2	पत्र प्राप्ति से लेकर दिनांक30.12.19 तक पत्र पर जो–जो कार्यवाही की गयी उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।	मूल ही इस कार्यालय के पत्रांक 40 दिनांक 06.01.2020 द्वारा जिला पंजीयक श्रीगंगानगर को भिजवाया गया है जिसकी फोटो प्रति संलग्न है।
3	प्रार्थी के उपरोक्त पत्रांक पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।	बिंदु संख्या 02 में संलग्न की गयी फोटोप्रति में पद व नाम अंकित है।
4	पत्र में अंकित तथ्यों के संबध में धारा 89 पंजीयन अधिनियम 1908 का धारा में की गयी कार्यवाही की सूचना।	सूचना उपलब्ध नही है।
5	जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर की जांच रिपोर्ट क्रमांक 703 दिनांक 17.06.2019 पर की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।	कार्यालय के पत्रांक 44 दिनांक 06.01.2020 द्वारा जांच रिपोर्ट की प्रति जिला पंजीयन शाखा को भिजवायी गयी जिसकी प्रति संलग्न है
6	श्री महेन्द्र छाबड़ा स्टाम्प वेण्डर प्रकरण में दोषी पाये जाने पर भी उनके विरूद्ध कार्यवाही करने में लगने वाली समय की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।	सूचना उपलब्ध नही है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

7	लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थी के उक्त पत्रांक का जवाब दिये जाने में लगने वाले समय की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।	सूचना उपलब्ध नही है।
8	जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 19.03ण2019 की पालना में एफआईआर दर्ज करवाने में लगने वाले विलंब की सूचना व विलम्ब के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।	सूचना उपलब्ध नही है।
9	प्रार्थी के पत्रांक पर कार्यवाही जिस स्तर पर कियाशील है उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।	सूचना उपलब्ध नही है।
10	राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक 6871–72 दिनांक 23.08.18 पर की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।	सूचना उपलब्ध नही है।
11	कार्यवाही उक्त पत्र पर न किये जाने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।	सूचना उपलब्ध नही है।
12	राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक 4584–84 दिनंक 27.11.2019 जिला कलक्टर कार्यालय में पहुचंने की तारीख व आरआर नंबर की सूचना व प्रमाणित प्रति।	सूचना उपलंब्ध नही है।
13	पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।	सूचना उपलब्ध नही है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 1, 2, 3 एवं 5 सूचनाएं दी जा चुकी है एवं शेष सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है** जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात **दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर द्वारा जो दिनांक 10.02.2020 से उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है।

आदेश की प्रति अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।

पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर